चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता / 910
दिनांक : 15.06.2015

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या–975/79–वि–1–14–1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–37 की उपधारा–2 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एण्ड रिसर्च, एन0एच0–58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 पाठ्यक्रम (दो सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रबन्ध समिति का अनुमोदन अपेक्षित एवं तीन वर्ष का विश्वविद्यालय से प्रमाणित परीक्षाफल संलग्न न होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2015 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा–प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष 15 अगस्त तक प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अतः कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एण्ड रिसर्च, एन0एच0–58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2015 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्थान द्वारा दिनांक 30.06.2015 तक प्रबन्ध समिति के अनुमोदन एवं तीन वर्ष का विश्वविद्यालय से प्रमाणित परीक्षाफल विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा देगा अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सम्बद्धता की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एण्ड रिसर्च, एन0एच0–58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि संदर्भित प्रकरण को आगामी होने वाली कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव

DIRECTOR
Apex Inst. of Mgmt. Studies & Research
Meerut

Annexure-16

(74)

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक:- सम्बद्धता/ 5&c
दिनांक:- 28.07.2004

सचिव,
एपैक्स इंस्टी0 ऑफ मैनजमैंट स्टडीज एण्ड रिसर्च,
मेरठ।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 4102//जी.एस. दिनांक 25.06.2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) एवं संशोधन अधिनियम 2003 की धारा-5 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन एपैक्स इंस्टी0 ऑफ मैनजमैंट स्टडीज एण्ड रिसर्च, मेरठ को स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0 तथा बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2004 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - 2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार स्नातक स्तर पर एपैक्स इंस्टी0 ऑफ मैनजमेंट स्टडीज एण्ड रिसर्च, मेरठ बी0बी0ए0 तथा बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2004 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगें, जिसके लिए पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-
1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

Institute of Management Studies & Research
AIMSR MEERUT

कुलसचिव

561

Annexure 15

70

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक:- सम्बद्धता/561
दिनांक:- 28.07.2004

सचिव,
एपैक्स इंस्टी0 ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एण्ड रिसर्च,
मेरठ

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 4101/जी.एस. दिनांक 25.06.2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) एवं संशोधन अधिनियम 2003 की धारा-5 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन एपैक्स इंस्टी0 ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एण्ड रिसर्च, मेरठ को स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2004 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - 2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा मे कुलपति जी के आदेशानुसार स्नातक स्तर पर एपैक्स इंस्टी0 ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एण्ड रिसर्च, मेरठ को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2004 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है. उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे, जिसके लिए पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- 1. सहायक कुलसचिव सेन्ट्र को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

Institute of Management Studies & Research
AIMS MEERUT